कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांकः 754 / 156 /आउशि/शाखा–5अ/2014 भोपाल, दिनांकः 16 / 10 / 2014

प्रति,

1. **कुल सचिव,**
   बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, **भोपाल**/जीवाजी विश्वविद्यालय,**ग्वालियर**/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,**इंदौर**/रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,**जबलपुर**/विक्रम विश्वविद्यालय, **उज्जैन**/अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय,**रीवा**।

2. **प्राचार्य,**
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।

विषय :"**शोध एवं विकास समन्वय प्रकोष्ठ**" का गठन एवं **शोध–पत्रिका (Research Journal) का प्रकाशन।**

–0–

प्रदेश में उच्चशिक्षा के संस्थानों में शोध एवं विकास गतिविधियों को अनिवार्यरूपेण संचालित करने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में **शोध एवं विकास समन्वय प्रकोष्ठ** स्थापित किया जाना है ।

2/ "शोध एवं विकास समन्वय प्रकोष्ठ" का गठन–

इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालयों, स्वशासी महाविद्यालयों तथा अग्रणी महाविद्यालयों में "**शोध एवं विकास समन्वय प्रकोष्ठ**" का गठन कर शोध प्रविधि (रिसर्च मेथडॉलोजी) पर एक सेमिनार आयोजित किया जावे। इसमें शोधछात्र तथा शिक्षक भागीदारी करेंगे । सेमिनार में प्रस्तुत लेखों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण तथ्यों का सारांश तथा अनुशंसाएं सभी महाविद्यालयों से संबंधित विश्वविद्यालयों की बेवसाईट पर होमपेज पर पृथक स्थान बनाकर (विश्वविद्यालय, अग्रणी महाविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय का पृथक–पृथक) अपलोड किया जाये। इसके बाद शोध–छात्रों एवं शिक्षकों के शोध की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय स्तर पर **अनुसंधान प्रोत्साहन योजना** बनाई जाये। सेमिनार की रिपोर्ट संचालनालय स्थित 'रूसा' सेल (RUSA Cell) को प्रेषित की जावे,

ताकि भविष्य में प्रदेश में विषयवार शोध केन्द्र बनाये जा सकें। अग्रणी महाविद्यालय अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये समन्वयक का कार्य करेंगे तथा अपने यहां आयोजित होने वाले सेमिनार में उन्हें जोड़ेंगे ।

3/ प्रत्येक विश्वविद्यालय में गठित **शोध एवं विकास समन्वय प्रकोष्ठ (Research & Development Coordination Cell)** की संचालन समिति में विश्वविद्यालय में संचालित समस्त विषयों के विभागाध्यक्ष्य सदस्य होंगे तथा सर्व सम्मति से शोध में अनुभवी एवं सक्रिय किसी एक विभाग प्रमुख को प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जावे। प्रकोष्ठ में सचिवालयीन कार्यों हेतु कुलपति द्वारा उप–कुलसचिव/सहायक–कुलसचिव स्तर का अधिकारी उपलब्ध कराया जावे। प्रत्येक स्वशासी महाविद्यालयों में गठित **शोध एवं विकास समन्वय प्रकोष्ठ** में प्राचार्य शोध कार्य में संलग्न संकाय सदस्यों की एक चार सदस्यीय समिति बनाकर वरिष्ठ प्राध्यापक को उसका प्रभारी बनावें।

प्रकोष्ठ के गठन के उपरांत संबंधित अधिकारी का नाम/पदनाम/दूरभाष/ईमेल सहित इस कार्यालय को दिनांक **30/10/2014** तक भेजना सुनिश्चित करें। यह सेल **विश्व बैंक एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)** से संबंधित समस्त सांख्यकीय डॉटा भी उपलब्ध करायेगा तथा अनुसंधान से संबंधित डॉटा के लिये समन्वयन का कार्य भी करेगा।

4/ प्रकोष्ठ के प्रकार्य–

प्रकोष्ठ द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

- शिक्षकों को पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहित करना। शैक्षणिक स्टॉफ द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की बेवसाईट पर अपलोड करना। (महाविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्यों द्वारा पुस्तकादि लेखन कार्य के लिये अनुमति देने में महाविद्यालय के प्राचार्य सक्षम रहेंगे।)
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की शोध एवं विकास क्षमता की पहचान करना एवं इसके विस्तार हेतु योजनाओं को तैयार करना।
- शोध हेतु प्रोत्साहन कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- विभिन्न क्षेत्रों के स्रोत विद्वानों को आमंत्रित कर उनके व्याख्यान आयोजित करवाना।
- शोध पत्र लेखन हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में जानकारी शोधकर्ताओं को उपलब्ध करना।

- शोध संगोष्ठियों और सेमीनारों का आयोजन करना।
- विभिन्न संस्थाओं के बीच शोध एव विकास हेतु आपसी सहयोग की संभावना तलाशना।
- शोध हेतु संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर विभिन्न संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये शोधकर्ता प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों से परियोजनाओं को तैयार करवाना।
- विभिन्न संकायों में चल रहे शोध को ध्यान में रखते हुए एक **मल्टी–फेकल्टी रिसर्च जर्नल** (Multi-Faculty Research Journal) का प्रकाशन करना।
- शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर–राष्ट्रीय जर्नल्स में अपने महत्त्वपूर्ण शोध परिणामों को प्रकाशित करने अथवा पेटेंट लेने के लिये प्रोत्साहित करना।
- शोध और विकास गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना। प्रत्येक शिक्षक द्वारा कम से कम दो शोध पत्र प्रकाशित किया जावे – इसकी जानकारी देना और प्रकाशन के लिये प्रेरित करना ।

5/ कार्यशालाओ एवं संगोष्ठियों का आयोजन –

शोध के वातावरण के निर्माण एवं संस्था में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए प्रकोष्ठ ज्वलंत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा शोध के उभर रहे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यशालाओं तथा सेमीनारों का आयोजन सुनिश्चित करें।

6/ रिसर्च जर्नल का प्रकाशन–

प्रत्येक विश्वविद्यालय, अग्रणी महाविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालय द्वारा अपने यहाँ उपर्युक्त उल्लिखित **शोध जर्नल** का प्रकाशन वर्ष में **कम से कम दो बार** किया जाये। इसके लिए *ISBN* नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है लेकिन निकट भविष्य में इसे प्राप्त करने की कार्यवाही की जाना चाहिये। इसमें शोध पत्र, रिव्यू आर्टिकल्स, एक्टिविटी एसेज, पॉलिसी आदि से जुड़े विभिन्न लेख प्रकाशित किये जायें तथा इसमें प्रकाशन हेतु सम्मिलित किये जाने वाले चयनित लेखों के लिए विषय विशेषज्ञों से अनुसंशा प्राप्त की जाए। शोध जर्नल के सम्पादकीय मंडल में शोध में संलग्न विशेषज्ञों/सक्रिय अनुसंधानकर्ताओं को सदस्य के रूप में रखा जाये। कृपया यह सुनिश्चित करें कि शोध जर्नल में प्रकाशन के लिये चयनित शोध पत्रों में उल्लेखित किये जाने वाले संदर्भों में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध

पत्रों का ही उल्लेख हो। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों आदि से संबंधी अप्रामाणिक जानकारी को संदर्भ सामग्री को सम्मिलित न करें। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अकादमिक वातावरण निर्मित करने की दिशा में उपर्युक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

7/ प्रत्येक शिक्षक वर्ष में कम से कम दो शोध पत्र अनिवार्यतः प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

8/ **शोध एवं विकास समन्वय प्रकोष्ठ** (Research & Development Coordination Cell) के गठन एवं अनुसंधान प्रोत्साहन योजना का संपूर्ण विवरण **30/10/2014** तक ईमेल द्वारा ***rusamphe@gmail.com*** पर निर्धारित संलग्न प्रपत्र की एक्सेल शीटस् (*xls*) में सॉफ्टकापी तथा हार्डकापी में उपलब्ध करायें।

संलग्न : शीट–1, 2

(सचिन सिन्हा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय

पृ. क्रमांकः 755 /156/आउशि/शाखा–5अ/2014 भोपाल, दिनांकः 16/10/2014

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति संबंधित विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ। अनुरोध है कि यह कार्यवाही तत्परता से पूर्ण कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों, उच्च शिक्षा म.प्र. की ओर कि कृपया कार्यवाही तत्परता से पूर्ण करायें।
4. रूसा सेल प्रभारी, उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर आगामी कार्यवाही हेतु।
5. आई.टी.सेल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय